नवा छत्तीसगढ़ संकल्प पत्र

2018

भारतीय जनता पार्टी, छत्तीसगढ़

चुनाव संकल्प पत्र समिति

डॉ. रमन सिंह	मुख्यमंत्री
श्री बृजमोहन अग्रवाल	संयोजक
श्री रामविचार नेताम	सदस्य
सुश्री सरोज पाण्डेय	सदस्य
श्री विष्णुदेव साय	सदस्य
श्री रमेश बैस	सदस्य
श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय	सदस्य
श्री अमर अग्रवाल	सदस्य
श्री अजय चंद्राकर	सदस्य
श्री पुन्नूलाल मोहिले	सदस्य
श्री मोतीलाल साहू	सदस्य
श्री मधुसूदन यादव	सदस्य
श्री सुभाष राव	सदस्य
श्री श्रीचंद सुन्दरानी	सदस्य
श्री ओ.पी. चौधरी	सदस्य

प्रदेश के कोने कोने से आए लाखों सुझावों के माध्यम से बनाए गए इस 'नवा छत्तीसगढ़' संकल्प पत्र को हम प्रदेश की महान जनता और राज्य निर्माता श्री अटल बिहारी वाजपेयी को समर्पित करते हैं। विकास की इस यात्रा में आप सब ने जिस तरह से अपना समर्थन हमें दिया है, हमें उम्मीद है कि आप सदैव इसी प्रकार से सहयोग देते रहेंगे। हमारी कोशिश रहेगी कि जिस मेहनत और लगन से हमने लोक कल्याण के कार्य में ख़ुद को समर्पित किया है, हम उसी समर्पण से आगे भी कार्य करते रहें और एक विकसित 'नवा छत्तीसगढ़' की नींव रखें।

नवा छत्तीसगढ़ संकल्प पत्र 2018

- 60 वर्ष से अधिक आयु के लघु एवं सीमांत किसानों व भूमिहीन कृषि मजदूरों को रु 1000 प्रतिमाह पेंशन
- अगले 5 वर्षों में किसानों को 2 लाख नए पम्प कनेक्शन
- प्रदेश में छोटे बांधों के निर्माण तथा स्टाप डैम का गहरीकरण कर सिंचित क्षेत्र का रकबा 50 प्रतिशत
- दलहन और तिलहन किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद
- लघु वनोपज का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़कर होगा 1.5 गुना
- छत्तीसगढ़ को जैविक खेती के प्रदेश के रूप में विकसित करने हेतु तेजी से प्रयास
- छतीसगढ़ बनेगा नक्सलवाद से मुक्त प्रदेश
- अनुसूचित जाति एवं जनजाति के बच्चों हेतु 'गुरु घासीदास' एवं 'अमर शहीद गुंडाधुर' छात्रवृत्ति योजना
- वनोपज खरीदी- बिक्री के लिए सर्वसुविधा-युक्त हाट बाज़ारों की स्थापना
- निराश्रित पेंशन राशि में वृद्धि
- ग्रामीण एवं शहरी गरीब परिवारों हेतु पक्का आवास
- नोनी सुरक्षा योजना में दी जाने वाली राशि को दोगुना कर 2 लाख रुपये
- कक्षा 9 वीं में प्रवेश लेने वाले समस्त छात्र-छात्राओं को निशुल्क साइकिल
- 12वीं तक के सभी छात्र-छात्राओं को निशुल्क गणवेश एवं पाठ्य पुस्तकें
- मेधावी छात्राओं को यातायात में सुविधा देने हेतु निशुल्क स्कूटी
- महिलाओं को व्यापार हेतु 2 लाख एवं स्व- सहायता समूहों को 5 लाख तक ब्याज मुक्त ऋण
- जिला अस्पताल बनेंगे मल्टी स्पेशलिटी; अंबिकापुर एवं जगदलपुर में सुपर-स्पेशलिटी अस्पताल
- युवाओं को रोज़गार सुनिश्चित करने 'कौशल उन्नयन' भत्ता (बेरोजगारी भत्ता)
- 200 करोड़ रुपये के 'उद्यमिता मास्टर फंड' की स्थापना
- हिंदी और छत्तीसगढ़ी भाषा के विकास के लिए प्रदेश में नया विश्वविद्यालय
- पेंशनर्स को 1,000 रुपए प्रतिमाह चिकित्सा भत्ता
- गरीब परिवारों के लिए 5 लाख एवं अन्य परिवारों के लिए 1 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा
- पत्रकार और फोटो पत्रकार कल्याण बोर्ड का गठन
- एडव्होकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू
- सभी ब्लॉक मुख्यालयों पर शासकीय कर्मचारी कॉलोनी का निर्माण
- नगरीय क्षेत्रों में स्थायी एवं नजूल पट्टों का नियमितीकरण व नवीनीकरण
- पुलिस की सेवा शर्तों संबंधी शिकायतों के त्वरित समाधान हेतु एक विशेष व्यवस्था का निर्माण
- रायपुर- अटल नगर- भिलाई -दुर्ग - राजनांदगांव समूह का स्टेट कैपिटल रीजन के रूप में विकास
- छोटे व्यापारियों के लिए 5 लाख तक का व्यापार बीमा
- छत्तीसगढ़ का विश्व पटल पर एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल के रूप में विकास
- छत्तीसगढ़ फिल्म सिटी का निर्माण
- पूरे विश्व में बसे हुए छत्तीसगढ़िया लोगों को एक पटल पर लाने हेतु माइक्रो ब्लोगिंग साइट

भूमिका

सन 2000 में छत्तीसगढ़ का निर्माण परम श्रद्धेय अटल जी के नेतृत्व में तत्कालीन एनडीए सरकार ने छत्तीसगढ़ अंचल को क्षेत्रीय असंतुलन और पिछड़ेपन की पीड़ा से मुक्ति दिलाने के लिए किया था। निर्माण के समय इस राज्य के भविष्य को लेकर कई उम्मीदें थी, कई सपने थे जो इस नव निर्मित राज्य के लिए देखे गए थे।

परन्तु अपने शुरुआती 3 वर्षों में यह उम्मीदें टूटती हुई दिखाई दे रही थी। 2003 से पहले प्रदेश में अराजकता का माहौल था, महिलाएं असुरक्षित थीं, युवा आक्रोशित थे, अर्थव्यवस्था बदहाल थी और असंख्य लोगों को भूखे पेट सोना पड़ता था। वर्ष 2003 में हमारे प्रदेश को – भूखमरी, गरीबी, कुपोषण, भारी संख्या में पलायन जैसी समस्याएं विरासत में मिली थी।

हमने इन कठिनाइयों को एक चुनौती के तौर पर लिया। हमारा स्पष्ट मानना था कि जब तक हम प्रदेश को इन मुश्किलों से नहीं उभार लेते हम तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। हमारी सरकार का एकमात्र घोषित लक्ष्य था हर किसी समाज के आख़िरी पायदान पर खड़े व्यक्ति तक पहुँचना और उनके जीवन स्तर में व्यापक और सकारात्मक बदलाव लाना।

हमें ख़ुशी है कि तब से अब तक हमारा प्रदेश मीलों आगे आ गया है। विगत 15 वर्षों में हमारी सरकार ने प्रदेश के प्रत्येक निवासी के भविष्य को उज्ज्वल बनाने का सतत प्रयास किया है। प्रदेश के किसानों को उनकी मेहनत की पूरी कीमत देने के लिए समर्थन मूल्य पर हम आज देश में सबसे ज्यादा धान उपार्जित कर रहे हैं। हमारी विश्वस्तरीय '1 रुपए चावल योजना' ने प्रदेश के लाखों नागरिकों को भूख से मुक्ति दिलाई है। आज प्रदेश के हर शहर, गाँव, किसानों और उद्योग की ज़रूरतों के लिए बिना कटौती 24 घंटे बिजली दी जा रही है। विगत 15 वर्षों में शिक्षा संस्थानों की संख्या में हुई वृद्धि के कारण आज छत्तीसगढ़ को 'शिक्षागढ़' कहा जाता है।

इन उपलब्धियों से प्रदेश के विकास में आई गति को हम और बढ़ाना चाहते हैं। इसीलिए 2025 में छत्तीसगढ़ के रजत उत्सव वर्ष तक हमने एक 'नवा छत्तीसगढ़' बनाने का संकल्प लिया है। हम छत्तीसगढ़ को समृद्ध, खुशहाल, सशक्त, स्मार्ट और हरित बनाकर एक विकसित प्रदेश का निर्माण करना चाहते हैं, जहां हर व्यक्ति के लिए हर दिन उनका जीवन बेहतर बनाने की नयी संभावनाएं बनती रहें और प्रदेश सामुदायिक संपन्नता के नए आयाम छूता रहे, हम एक ऐसा 'नवा छत्तीसगढ़' बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इस संकल्प पत्र के माध्यम से 'नवा छत्तीसगढ़' के निर्माण की हमारी सांझी यात्रा का मानचित्र हम आपके समक्ष पूरी निष्ठा से रख रहे हैं। आइये एक विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण की दिशा में हम सब मिल जुल कर काम करें और राज्य निर्माता परम श्रद्धेय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के सपनों को साकार कर प्रदेश को उन्नति के शिखर पर ले चलें।

अनुक्रमिका

छत्तीसगढ़ तब और अब 5

शुरू की गयी योजनाएं जो बेहतर होकर जारी रहेंगी 7

समृद्ध नागरिक 8

- कृषि विकास और किसान कल्याण 10
- गांव-गरीब-मजदूर 14

सशक्त समाज 15

- महिला सशक्तिकरण 17
- अनुसूचित जनजाति 19
- अनुसूचित जाति 21
- युवा शक्ति का विकास 22
- अन्य प्राथमिक समूह 24

खुशहाल जीवन 28

- समग्र शिक्षा 30
- व्यापक स्वास्थ्य 31
- शहरी विकास 33

हरित प्रदेश 35

- वन संवर्धन 37
- पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन 38

स्मार्ट सुशासन 39

- प्रशासन 41
- पुलिस 42

विकासशील से विकसित की ओर 43

- औद्योगिक विकास 45
- आधारभूत संरचना 46
- पर्यटन और संस्कृति 47

छत्तीसगढ़ तब और अब

प्रमुख संकेतक	2003	2018
जी.एस.डी.पी (रु करोड़)	39,000	3,25,644
राज्य का बजट (रु करोड़)	6,859	83,179
प्रति व्यक्ति आय (रु)	10,808	92,000
आंगनबाड़ी केंद्र	20,289	52,365
एम.एम.आर (प्रति एक लाख जीवन जन्म)	407	173
एलपीजी कनेक्शन (लाख)	6.8	36.4
सभी के लिए आवास (लाख एचएच)	0	9.4
धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य (रु)	550	1750 + 300
निर्धन परिवारों की महिलाओं को रोजगार (लाख)	0	10.9
वन अधिकार मान्यता पत्र धारक (लाख एचएच)	0	3.35
निर्धनों को मुफ्त बिजली (लाख)	0	16
गांव विद्युतीकरण	-	100%
घर विद्युतीकरण	36%	96%
संचार क्रांति योजना	-	29.14 लाख
मृदा स्वास्थ्य पत्रक	-	32 लाख
सोलर पंप	-	40,000
सिंचाई क्षमता (लाख हे.)	14.53	22.88
कृषि बजट (रु करोड़)	183.9	1,887.6
सिंचाई पंप ('000 में)	72	500
औद्योगिक उत्पादन (रु करोड़)	1,545	11,277

छत्तीसगढ़ तब और अब

प्रमुख संकेतक	2003	2018
पीएम मुद्रा लोन	-	19.8 लाख खाते
एम.एस.एम.ई के माध्यम से रोज़गार के अवसर	23,865	1,76,409
कुल ऊर्जा क्षमता (मेगा वाट)	4,700	25,000
संस्थागत प्रसव	18%	74%
कौशल आधारित शिक्षा प्रदान करने वाले संस्थानों की संख्या	-	2,683
प्रशिक्षित युवाओं की संख्या	-	4,04,940
डामरीकृत सड़क (कि.मी.)	13,524	55,910
पुल	150	1,070
पोर्टेबल केबिन स्कूल	-	30 स्कूल
एजुकेशनल हब सिटी	-	06
आजीविका कॉलेज	-	27
पंजीकृत श्रमिकों की संख्या	85,719	1,95,000
नियोजित श्रमिकों की संख्या	1,45,633	3,57,674

छत्तीसगढ़ भाजपा सरकार की पहले से चल रही प्रभावी एवं जन कल्याणकारी योजनाएं

- किसानों के धान और मक्के की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी की उचित व्यवस्था
- किसानों को 300 रुपये प्रति क्विंटल धान पर बोनस
- गरीब परिवारों को मिल रहे 1 रुपये किलो व 2 रुपये किलो चावल योजना
- 32 लाख परिवारों को मुफ्त नमक
- 24 घंटे बिजली
- किसानों को बिना ब्याज ऋण
- उच्च शिक्षा के लिए 1 प्रतिशत ब्याज पर ऋण
- तेन्दूपत्ता संग्राहकों को चरण पादुका
- स्कूली बच्चों को निशुल्क पाठ्यपुस्तकें व छात्राओं को साइकिल वितरण
- छात्र-छात्राओं को लैपटॉप/ टेबलेट वितरण
- प्रयास आवासीय विद्यालय
- मुख्यमंत्री तीर्थयात्रा योजना
- मुख्यमंत्री युवा भारत दर्शन योजना
- देश में बिजली की सबसे कम दर
- मुख्यमंत्री कन्यादान योजना
- पंचायतों में 50 प्रतिशत महिला आरक्षण
- मुख्यमंत्री बाल हृदय योजना
- मुख्यमंत्री बाल श्रवण योजना
- सभी 56 लाख परिवारों को स्वास्थ्य बीमा योजना
- अटल विहार योजना के तहत 1 लाख जरूरतमंद परिवारों को मकान
- मुख्यमंत्री साइकिल सहायता योजना
- मुख्यमंत्री सिलाई सहायता योजना
- आजीविका कॉलेज योजना
- छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मंडल /भवन एवं अन्य सन्ननिर्माण कल्याण मंडल/ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल की विभिन्न योजनाएं

समृद्ध नागरिक

भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किसानों की आय में वृद्धि के साथ-साथ उन्हें व्यापार के नए अवसर मुहैया कराये हैं। उन्हें अपनी फ़सलों का पूरा मूल्य मिले, उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव आए इसके लिए हम सदा प्रयासरत रहे हैं। प्रदेश के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक हमारी योजनाओं का लाभ पहुँचे, हमारी सरकार की हमेशा से यही कोशिश रही है। अपने इसी कार्य को आगे ले जाते हुए अब हम प्रदेश को समृद्धि के नए आयामों तक ले जाना चाहते हैं। ऐसा प्रदेश जिसमें किसानों और ग़रीब वर्गों के लिए आगे बढ़ने के असीम अवसर हों और कृषि और अन्य व्यवसायों से जुड़े हर व्यक्ति को आर्थिक प्रगति का लाभ मिल सके

- आज लागत के 1.5 गुना न्यूनतम समर्थन मूल्य से प्रदेश के हर एक किसान को धान का उचित मूल्य दिया जा रहा है।
- 15 वर्षों में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी और बोनस राशि मिलाकर किसानों के घर लगभग ₹ 76,000 करोड़ पहुंचाए गए हैं।
- कृषि की बजट राशि 183.98 करोड़ रुपये से बढ़कर अब 1,887.64 करोड़ रुपये हो गई है जो वर्ष 2003-2004 के बजट की राशि की तुलना में 926% अधिक है।
- वर्ष 2016-17 में सिंचाई क्षमता 23% से बढ़कर 36% हो गयी है, जो वर्ष 2003-04 की तुलना में 56% अधिक है। अब 22 लाख 88 हज़ार हेक्टेयर की ज़मीन को सिंचाई प्राप्त हो रही है।
- लगभग 7.3 लाख किसानों ने ब्याज मुक्त ऋण का लाभ उठाया है जिसके लिए राज्य सरकार ने 2018-19 बजट में 184 करोड़ रुपये प्रदान किये।
- आज सिंचाई पंपों की संख्या 72,000 से बढकर 5 लाख तक पहुंची है और किसानों को बिना ब्याज के ऋण उपलब्ध करवाया गया है।
- 15 वर्षों में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 32,132 किलोमीटर की 6,657 सडकें बनाई गई हैं।
- प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में ग्रामीण क्षेत्र में 7 लाख मकान और शहरी क्षेत्र में 1.7 लाख मकान बनाए जा रहे हैं।

कृषि विकास और किसान कल्याण

उपज का उचित मूल्य

- धान और मक्के की खरीदी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर की जाएगी।
- 'प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान' को प्रदेश में लागू किया जाएगा, जिसके अंतर्गत दलहन और तिलहन किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की जाएगी।
- वनोपज के समर्थन मूल्य में 1.5 गुना की वृद्धि की जाएगी।
- प्रमाणित एवं आधार बीज अनुदान में वृद्धि की जाएगी।
- 'ई-नाम' के माध्यम से महुआ, चिरोंजी जैसी वन उपज के व्यापक प्रचार और विपणन के लिए एक विशेष मिशन शुरू किया जाएगा।

मंडी और बाज़ार

- सभी मंडियों को 'ई-नाम' से जोड़ा जाएगा ताकि किसानों को अपने उत्पादन के लिए प्रतिस्पर्धी कीमतें मिल सकें और 'ई-नाम' पर 100% व्यापार सुनिश्चित किया जाएगा।
- सभी 27 जिलों में ग्रामीण कृषि बाज़ार की स्थापना तत्परता से की जाएगी, जिससे किसानों के पास विपणन के ज्यादा से ज्यादा अवसर उपलब्ध हों।
- प्रदेश की सभी मंडियों को ग्रामीण सड़कों से जोड़ा जाएगा।

किसान उत्पादक संगठन

- राज्य में अधिक से अधिक नए किसान उत्पादक संगठन (FPO) स्थापित किए जाएंगे।
- किसान उत्पादक संगठनों और स्व-सहायता समूहों को फलों, सब्जियों और अन्य फसलों के प्राथमिक प्रसंस्करण और पैकेजिंग के लिए 20 लाख रुपए तक ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा।
- जगदलपुर, राजनांदगांव, कबीरधाम एवं बेमेतरा जैसे तिलहन उत्पादक जिलों में तेल उत्पादन संयंत्रों का निर्माण किया जाएगा।

जैविक कृषि

- छत्तीसगढ़ में जैविक खेती के व्यापक विस्तार और जैविक उपज को उचित मूल्य देने को प्राथमिकता दी जाएगी।
- प्रदेश की जैविक कृषि उपज को जैविक उत्पादों के प्रमाणीकरण के राष्ट्रीय मानकों के अनुसार प्रमाणित करने के लिए एक एजेंसी स्थापित की जाएगी।
- जैविक खेती को बढ़ाने के लिए संस्थागत एवं निजी गौशालाओं के संचालन को भरपूर प्रोत्साहन दिया जाएगा।

भंडारण और प्रसंस्करण

- हर जिले में कोल्ड स्टोरेज और कृषि प्रसंस्करण यूनिट की स्थापना की जाएगी।
- विकासखंड स्तर पर भण्डार गृहों का निर्माण किया जाएगा।

सूचना प्रसार

- राज्य के प्रत्येक गांव में एक 'कृषि मित्र' की पहचान की जाएगी, जो किसानों को नई कृषि तकनीकों से परिचित कराने का काम करेंगे।
- प्रदेश में कृषि तकनीक, उद्यमिता एवं अभियांत्रिकी को प्रोत्साहित किया जाएगा।

किसान कल्याण

- 60 वर्ष से ऊपर की उम्र के लघु और सीमांत किसानों तथा भूमिहीन कृषि मजदूरों को 1000 रुपये की मासिक पेंशन दी जाएगी।
- कृषि भूमि के अधिग्रहण के लिए मुआवजा राशि के भुगतान हेतु एक साल की अधिकतम समय सीमा तय की जाएगी।
- किसानों की लागत को कम करने के लिए कृषि को मनरेगा से जोड़ा जाएगा।
- प्रदेश के भूमि संसाधनों के बेहतर उपयोग को सुनिश्चित करने हेतु राज्य भूमि सुधार नीति बनाई जाएगी।
- नहरों पर सड़कों का निर्माण कर किसानों के लिए मंडियों को सुलभ बनाया जाएगा और भविष्य में बन रही नहरों पर सड़कें बनायी जाएंगी।
- मैदानी क्षेत्रों में फसलों को नुकसान पहुँचाने वाले वन्य जीवों से सुरक्षा हेतु समाधानकारक उपाय किए जाएंगे।
- किसान कल्याण परिषद को आयोग का दर्जा दिया जाएगा।

सिंचाई

- 'किसानो को 2,00,000 नए सिंचाई पंप दिए जाएंगे।
- सिंचित क्षेत्रफल में वृद्धि हेतु पूरे प्रदेश में 'भगीरथी सिंचाई महाभियान' के नाम पर नई सिंचाई संरचनाओं का निर्माण किया जाएगा। साथ ही पुरानी योजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा।
- नाले एवं तालाबों के माध्यम से लघु एवं सूक्ष्म सिंचाई योजनाओं का निर्माण किया जाएगा।
- भू-जल के स्तर में सुधार के लिए नए चेक बांध और अन्य छोटी जल संवर्धन संरचनाओं का निर्माण किया जाएगा।
- राज्य की नदियों को जोड़कर बाढ़ या सूखे से होने वाले नुकसान से बचाने हेतु वाटर ग्रिड का निर्माण किया जाएगा।
- प्रदेश में छोटे बांधों के निर्माण तथा स्टाप डैम का गहरीकरण करते हुए सिंचित क्षेत्र का रकबा 50 प्रतिशत किया जाएगा।
- इन्द्रावती नदी के पानी को समुद्र में बह जाने से रोकने के लिए विशेषज्ञ समिति से अध्ययन कराया जाएगा तथा लिंक कैनाल बनाकर वर्षाजल को प्रदेश के मध्य भाग की ओर मोड़ा जाएगा।
- नहरों से पानी दिए जाने की एवज में लिया जाने वाला सिंचाई शुल्क समाप्त किया जाएगा।

पशुपालन और डेयरी विकास

- प्रदेश में दुग्ध क्रांति अभियान चलाया जाएगा।
- प्रदेश के सभी संभागों में गौ अभयारण्य बनाये जायेंगे।
- गौपालन एवं दुग्ध व्यवसाय से जुड़ी योजनाओं का व्यापक विस्तार किया जाएगा और इच्छुक लाभार्थियों को 5 लाख तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जाएगा।
- दूध पाउडर और दूध प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित करने के लिए संयंत्र और मशीनरी पर 60% की लागत सब्सिडी प्रदान की जाएगी।
- पीपीपी मॉडल का उपयोग कर सभी जिलों में कोल्ड चेन के बुनियादी ढांचे और शीतिकरण संयंत्रों की स्थापना को प्रोत्साहित किया जाएगा।
- पूरे प्रदेश में अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस पशु चिकित्सा अस्पताल स्थापित किए जाएंगे।
- न्यूनतम प्रीमियम दरों पर पशुधन के लिए बीमा की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी।
- गौसेवा आयोग और दुग्ध महासंघ में गौपालन करने वाले परम्परागत समुदायों के लिए भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी।
- शासकीय डेयरी कॉलेज में गौपालन करने वाले परम्परागत समुदायों के छात्रों के लिए सीट आरक्षित की जाएगी।
- पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम की स्थापना की जाएगी।

मछली पालन

- मत्स्य उद्योग के लिए बिजली आपूर्ति की दरों को कृषि बिजली दरों के समान किया जाएगा।
- प्रदेश के लिए एक नयी मछुआरा नीति की घोषणा की जाएगी और बांध, तालाब और एनीकट में मछुआ समुदाय के लोगों को मत्स्यपालन का विशेष अधिकार दिया जाएगा।
- जिला मुख्यालयों में भंडारण, कोल्ड स्टोरेज और बिक्री के लिए सभी सुविधाओं से सुसज्जित स्वच्छ मछली बाजारों की स्थापना की जाएगी।

औषधीय पौधे

- वन क्षेत्रों में रहने वाले किसानों के लिए वनोपज आधारित कृषि हेतु नई योजनायें तैयार की जाएँगी।
- वन औषधि उत्पादों के प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा देने के लिए 'धन्वंतरी वन औषधि योजना' की शुरूआत की जाएगी।
- वनोपज आधारित अद्योगों की अधिकाधिक स्थापना की जाएगी।

गांव - गरीब - मजदूर

भाजपा

- सभी गरीब परिवारों के लिए पक्के आवास निर्माण की नई योजना बनाई जाएगी।
- 3000 से अधिक की जनसँख्या वाले गाँव के विकास के लिए एक विशेष योजना बनाई जाएगी।
- हर बस्ती तक पक्की सड़क के निर्माण का काम अगले 5 वर्षों में पूरा किया जाएगा।
- सभी मुख्य सड़कों को एलईडी स्ट्रीट लाइट से प्रकाशित एवं 2000 से अधिक जनसँख्या वाले गांवों की गलियों में आतंरिक विद्युतीकरण किया जाएगा।
- 'गतिशील योजना' के अंतर्गत जिला मुख्यालय आने के लिए तहसील व विकासखंड मुख्यालयों को बस से जोड़ने की पहल की जाएगी।
- जल संरक्षण के लिए प्रत्येक गाँव में एक बड़े तालाब का निर्माण किया जाएगा।
- परम्परागत स्थानीय जल स्त्रोतों को पुनर्जीवित कर उन्हें पीने के पानी के स्रोत के रूप में विकसित किया जाएगा।
- 'जल अमृत योजना' के अंतर्गत सभी गाँवों में शुद्ध पेयजल दिया जाएगा।
- ग्राम पंचायतों में राशन दुकानों का निर्माण किया जाएगा।
- ग्राम पंचायत स्तर पर जल निकासी, सीवरेज और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सुविधाओं के लिए एक व्यापक योजना बनाई जाएगी।
- छत्तीसगढ़ प्रदेश की खुले शौच से मुक्त (ओ डी एफ) उपलब्धि को निरंतर बनाया रखा जाएगा।
- गावों को डिजिटल ग्राम बनाने का प्रयास किया जाएगा।
- हर गांव में ब्रॉडबैंड सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।
- पंचों, सरपंचों, जनपद सदस्यों, जिला व ग्राम पंचायतों को और अधिकार संपन्न बनाया जाएगा।
- समस्त संगठित एवं असंगठित क्षेत्रों के मजदूरों को सामाजिक सुरक्षा की योजना का लाभ दिया जाएगा।
- रिक्शा, ई- रिक्शा एवं ऑटो रिक्शा चालकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु 'कल्याण मंडल' का गठन किया जाएगा।
- मध्यान्ह भोजन रसोइयों को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ प्रदान किया जाएगा।
- बाल श्रमिक उन्मूलन हेतु गुणोत्तर शिक्षा देने के लिए पृथक से योजनाएँ बनाई जाएंगी।
- इ.एस.आई.सी. योजना का विस्तार प्रदेश के सभी जिलों में किया जायेगा।
- सभी श्रमिकों को स्मार्ट कार्ड दिए जाएंगे जिसके उपयोग से वह सभी योजनाओं का लाभ प्राप्त कर सकेंगे।

सशक्त समाज

हमारी सरकार ने पिछले 15 वर्षों में सर्वसमावेशी विकास के लिए कई कदम उठाये हैं। प्रदेश के हर नागरिक को पर्याप्त और समान अवसर मिलें और अपने सपने पूरे करने के लिए ज़रूरी सभी सहायता मिले इसके लिए हम सदैव प्रतिबद्ध रहे हैं। हमारा संकल्प है कि आने वाले वर्षों में हम प्रदेश में सामाजिक सुरक्षा और जनकल्याण व्यवस्था को और मजबूत करेंगे और सभी सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े समुदायों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने हेतु समर्थ बनायेंगे। हम समाज के सभी वर्गों के लिए प्रदेश के सभी संसाधनों, शिक्षा और रोज़गार के अवसरों में यथोचित भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

- उज्ज्वला योजना के अंतर्गत 37.2 लाख से अधिक महिलाओं को एलपीजी कनेक्शन वितरित किए जा रहे हैं।
- संचार क्रांति योजना के अंतर्गत 45 लाख महिलाओं को पूरे राज्य में स्मार्टफोन बांटे जा रहे हैं।
- छत्तीसगढ़ में शासकीय महाविद्यालय में पढ़ने वाली छात्राओं के लिए स्नातक स्तर तक नि:शुल्क शिक्षा सुविधा लागू है।
- छत्तीसगढ़ देश में सर्वाधिक वन अधिकार पत्र वितरण करने वाला राज्य है।
- तेन्दूपत्ता संग्रहण पारिश्रमिक दर को 450 से बढ़ाते हुए 2500 रुपये प्रति मानक बोरा तक किया गया है। लगभग 4 हजार करोड़ रुपये का तेंदुपत्ता बोनस भुगतान किया गया है।
- लगभग 13 लाख से अधिक तेंदूपत्ता श्रमिक निशुल्क चरण पादुका वितरण योजना से लाभान्वित हो चुके हैं।
- बीजापुर में अस्पताल का निर्माण, दंतेवाड़ा-सुकमा और कोरबा में एजुकेशन हब, बलरामपुर में इंटरनेट कनेक्टिविटी जैसे अनेक विकास कार्यों ने छत्तीसगढ़ को नई पहचान दिलाई है।
- छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य है जिसने सभी जिलों में लाइवलीहुड कॉलेज स्थापित किए हैं।
- छत्तीसगढ़ देश में सबसे पहले युवाओं को कौशल विकास का कानूनी अधिकार देने वाला राज्य है, प्रदेश में अब तक 4,04,940 युवाओं को कौशल उन्नयन का प्रशिक्षण दिया गया है।
- रायपुर में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम एवं अटल नगर में देश के दूसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का लोकार्पण किया गया जिसका नाम 'शहीद वीरनारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम' रखा गया है।
- 'प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना' के अंतर्गत 2.35 लाख से ज़्यादा कर्मचारियों का बीमा करवाया जा चुका है। प्रदेश में 30 लाख से अधिक श्रमिकों का पंजीयन किया गया है, जिससे उन्हें 78 योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है।
- उच्च शिक्षा विभाग में पढ़ाने वाले शिक्षकों को अब छत्तीसगढ़ प्रदेश सरकार सातवें वेतनमान के अनुसार वेतन दे रही है।

महिला सशक्तिकरण

शिक्षा के अवसर

- नोनी सुरक्षा योजना के तहत 12वीं की शिक्षा पूर्ण करने वाली 18 वर्ष की अविवाहित लड़कियों को दी जाने वाली राशि को दोगुना कर 2 लाख रुपये किया जाएगा।
- छत्तीसगढ़ से बाहर प्रतिष्ठित संस्थानों में अध्ययन करने के लिए प्रदेश की मेधावी छात्राओं को स्नातक और स्नातकोत्तर शिक्षा के लिए हर साल छात्रवृत्ति दी जाएगी।
- महाविद्यालय में प्रथम वर्ष में प्रवेश लेने वाले मेधावी छात्राओं को स्कूटी वितरित की जाएगी।

रोजगार के अवसर

- वन अधिकार अधिनियम के तहत अधिक से अधिक महिलाओं के नाम से पट्टे देने का प्रयास किया जाएगा।
- छत्तीसगढ़ महिला कोष योजना के तहत महिला स्व-सहायता समूहों को कृषि उत्पाद के प्राथमिक प्रसंस्करण और सूक्ष्म उद्योगों के लिए 5 लाख रुपये तक का ब्याज मुक्त व्यावसायिक ऋण प्रदान किया जाएगा।
- महिलाओं को उद्योग एवं व्यापार हेतु 2 लाख रुपए तक ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा।
- प्रदेश की राशन दुकान चलाने में महिला स्व-सहायता समूहों को प्राथमिकता दी जाएगी ।
- प्रदेश के सभी 27 जिलों में कामकाजी महिला छात्रावास का निर्माण किया जाएगा।
- सभी जिला मुख्यालयों में महिला चौपाटी बाज़ार का निर्माण किया जाएगा जिसमें सभी व्यवसायी महिलायें अपने उत्पाद की बिक्री कर पाएंगी।

अन्य कल्याण कार्यक्रम

- असंगठित क्षेत्र में काम करने वाली पंजीकृत महिला मजदूरों को प्रसव के दौरान पर्याप्त पोषण और सुरक्षा सुनिश्चित हो सके इसीलिए पहले 2 बच्चों के लिए 6 माह तक 2000 रुपए प्रति माह की राशि का भुगतान किया जाएगा।
- कन्यादान योजना के अंतर्गत दी जा रही राशि को 25 हज़ार तक बढ़ाया जाएगा।

- विधवा पेंशन योजना के तहत दिए जाने वाले पेंशन को बढ़ाकर 1000 रूपये प्रति माह किया जाएगा एवं विधवा बहनों के पुनर्वास हेतु विशेष कदम उठाए जाएंगे।
- निराश्रित पेंशन राशि में वृद्धि की जाएगी।
- महिला के नाम पर संपत्ति होने पर सरकार द्वारा वर्तमान पंजीकरण शुल्क में 50% की छूट दी जाएगी।
- महिलाओं के सम्मान हेतु 'नारी अस्मिता पुरस्कार' का आरम्भ किया जाएगा।

अनुसूचित जनजाति

शिक्षा के अवसर

- अनुसूचित जनजाति बच्चों के लिए शिक्षा अवसरों को बढ़ाने हेतु 500 करोड़ रुपयों की राशि से एक 'अमर शहीद गुंडाधुर छात्रवृत्ति योजना' की शुरुआत की जाएगी।
- अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के ब्लॉक मुख्यालयों में एकलव्य आवासीय विद्यालय शुरू किए जाएंगे।

रोजगार के अवसर

- आदिवासियों की जंगल पर निर्भर आजीविका को संरक्षित करने और लघु वन उपज के संग्रह से आय में वृद्धि को सुनिश्चित करने हेतु-
  - आदिवासी महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों को ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा।
  - चयनित स्वयं सहायता समूहों की स्थापना की जाएगी और प्राथमिक प्रसंस्करण और पैकेजिंग उपकरणों की ख़रीद के लिए प्रत्येक समूह को पांच लाख रुपये की सब्सिडी दी जाएगी।
- आदिवासियों के लिए आरक्षित सरकारी पदों को भरने के लिए एक समर्पित भर्ती अभियान चलाया जाएगा।
- सरकार द्वारा विकसित औद्योगिक क्षेत्रों में आदिवासी उद्यमियों द्वारा उपयोग के लिए 15% भूखंड 5 साल तक आरक्षित किए जाएंगे।
- जनजाति आबादी क्षेत्रों में वनोपज खरीदी- बिक्री के लिए सर्वसुविधा-युक्त हाट बाज़ारों की स्थापना की जाएगी।
- बस्तर और सरगुजा संभाग के युवाओं को नौकरी में भर्ती की तैयारी हेतु दोनों संभाग मुख्यालयों पर आवासीय प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की जाएगी।
- जनजातीय युवाओं के लिए बीएसएफ, सीआरपीएफ जैसे राज्य और केंद्र के सुरक्षा बलों में भर्ती की तैयारी हेतु बस्तर, बीजापुर और जशपुर में विशेष निशुल्क प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए जाएंगे।

स्वास्थ्य का संरक्षण

- स्वास्थ्य सेवाओं को आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में सुलभ बनाने हेतु विशेष वार्षिक चिकित्सा शिविर आयोजित किए जाएंगे।

- आदिवासी क्षेत्रों में आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु 108-एम्बुलेंस की संख्या बढ़ाई जाएगी।

आधारभूत सुविधाएं

- सभी आदिवासी अंचलों में दैनिक जरूरत की वस्तुएं उपलब्ध कराने हेतु सरल, सुलभ एवं सस्ते 'मोबाइल बाज़ारों' की शुरूआत की जाएगी।
- एक नई 'अंत्योदय ग्राम सड़क योजना' के अंतर्गत सभी दूरदराज के आदिवासी बसाहटों को निकटतम प्रमुख सड़क से जोड़ने के लिए कंक्रीट सड़कों का निर्माण किया जाएगा।
- जनजातीय आवासों हेतु स्वच्छ पेयजल पाइप द्वारा प्राथमिकता से उपलब्ध कराया जाएगा।

जनजातीय संस्कृति

- जनजातीय भाषाओं और संस्कृति के प्रसार हेतु सभी जनजातीय क्षेत्रों में मोबाइल सिनेमा वैन संचालित की जाएंगी, जिनमें शिक्षाप्रद पुस्तकों से लैस एक पुस्तकालय की व्यवस्था भी होगी।
- छत्तीसगढ़ राज्य जनजातीय अनुसंधान संस्थान को जनजातीय भाषाओं, लोक कला और संस्कृति के संरक्षण के लिए विश्वस्तरीय विशेषज्ञों से जोड़ा जाएगा।

अन्य पहल

- प्रत्येक एस.डी.एम. कार्यालय में वन अधिकार अधिनियम कक्ष स्थापित किए जाएंगे जिसके माध्यम से व्यक्तिगत और सामुदायिक पट्टे देने की प्रक्रिया संबंधी कानूनी सलाह, मार्गदर्शन और सुविधाएं प्रदान की जाएंगी।
- जनजातीय क्षेत्रों के लक्षित विकास हेतु बस्तर एवं सरगुजा विकास प्राधिकरण के लिए 100 करोड़ और भुंजिया एवं पंडो विकास अभिकरण हेतु 10 करोड़ रुपयों का प्रावधान किया जाएगा।
- विशेष पिछड़ी जनजातीय समूहों (पी वी टी जी) के विकास हेतु विशेष अधिकरण का निर्माण किया जाएगा।
- जो जनजातियाँ अभी अधिकृत जनजातियों की सूची में सम्मिलित नहीं है उन्हें अधिकृत करवाने हेतु सभी प्रयास किए जाएंगे।

अनुसूचित जाति

- अनुसूचित जाति से आने वाले बच्चों के लिए शिक्षा अवसरों को बढ़ाने हेतु 250 करोड़ रुपये की राशि से 'गुरु घासीदास छात्रवृत्ति योजना' की शुरुआत की जाएगी।
- अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित सरकारी पदों को भरने के लिए समर्पित भर्ती अभियान आयोजित किए जाएंगे।
- पूरे प्रदेश में सतनाम सामुदायिक भवनों के निर्माण और उन्नयन के लिए 20 करोड़ रुपये की निधि बनाई जाएगी।
- सरकार द्वारा विकसित औद्योगिक क्षेत्रों में अनुसूचित जाति के उद्यमियों द्वारा उपयोग के लिए 10% भूखंड 5 साल के लिए आरक्षित किए जाएंगे।
- 'गुरु घासीदास तीर्थ यात्रा फंड' के माध्यम से प्रदेश में गुरु घासीदास जी के जीवन से जुड़े स्थानों की यात्रा के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
- प्रदेश के महान संतों के जीवन और सामाजिक योगदान के सम्मान में गुरु घासीदास जयंती को पूरे राज्य में बड़े पैमाने पर मनाया जाएगा।

युवा शक्ति का विकास

उद्यमिता और स्टार्टअप्स

- प्रदेश में उद्यमशीलता को बढ़ावा देने, युवा उद्यमियों के विकास, स्वरोजगार और निवेश में वृद्धि हेतु एक अनुकूल माहौल बनाने के लिए 200 करोड़ रुपये के 'उद्यमिता मास्टर फंड' की स्थापना की जाएगी।
- राज्य में उभरते उद्यमियों के क्षमता वर्धन के लिए 'प्रबंधन और उद्यमिता संस्थान' की स्थापना की जाएगी।
- अगले 5 वर्षों में प्रदेश में अधिकाधिक स्टार्टअप्स का निर्माण करने हेतु प्रभावी कदम उठाये जाएंगे।
- उद्यमियों और निवेशकों के बीच विचार विमर्श के अवसर और निवेश की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए 'छत्तीसगढ़ इनोवेटर्स नेटवर्क' बनाया जाएगा।
- संभाग मुख्यालयों में स्टार्टअप्स के लिए महाविद्यालयों के साथ समन्वय में चार आधुनिक इनक्यूबेटर और कोवर्किंग परिसरों की शुरुआत की जाएगी।
- सभी सरकारी महाविद्यालयों में एक उद्यमिता कक्ष का सृजन किया जाएगा, जिसमें व्यापार प्रबंधन, नेगोशिएटिंग कौशल, लेखा और व्यापार नियामक कानून जैसे विषयों पर जानकारी दी जाएगी।

कौशल विकास और रोज़गार

- प्रदेश सरकार के कैबिनेट में एक विशेष 'रोज़गार विभाग' की स्थापना कर प्रदेश के युवाओं को रोज़गार मुहैया करवाने को प्राथमिकता दी जाएगी।
- अगले पांच वर्षों में मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना के तहत अधिक से अधिक युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा।
- समस्त पंजीकृत ग्रेजुएट एवं डिप्लोमाधारी बेरोजगारों को 'कौशल उन्नयन भत्ता' (बेरोजगारी भत्ता) दिया जायेगा जो अंतिम पढाई समाप्त होने के बाद शुरू किया जाएगा और अधिकतम 1 साल के लिए दिया जाएगा।
- प्रदेश के शिक्षित बेरोजगार युवाओं को सरकारी नौकरी हेतु निशुल्क आवेदन करने की सुविधा प्रदान की जाएगी।

- युवाओं को भविष्य एवं रोज़गार के मार्गदर्शन के लिए सभी जिला मुख्यालयों में एक 'युवा परामर्श केंद्र' की स्थापना की जाएगी।
- युवाओं को विभिन्न क्षेत्रों में इंटर्नशिप, अप्रेंटिसशिप और रोजगार के अवसरों से अवगत कराने के लिए वर्ष में दो बार सभी जिलों में 'मेगा रोजगार मेलों' का आयोजन किया जाएगा।
- गांव- गांव में युवा समितियों का पंजीयन अभियान चलाकर इन समितियों को शासन की विभिन्न रोज़गार योजनाओं से जोड़ा जाएगा एवं उन्हें समाज कल्याण कार्य के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।
- 8वीं, 10वीं एवं 12वीं कक्षा के स्तर पर छात्रों को उच्च शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार के अवसरों के बारे में अवगत कराने के लिए प्रत्येक स्कूल में परामर्श की सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी।
- रोज़गार के और अधिक अवसर उपलब्ध करवाने हेतु लाइवलीहुड यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी।

युवाओं के लिए अन्य पहल

- मुख्यमंत्री युवा सूचना क्रांति योजना के तहत महाविद्यालयों में पढ़ रहे सभी विद्यार्थी युवाओं को दाखिले के पहले वर्ष में लैपटॉप/स्मार्टफोन वितरित किए जाएंगे।
- एक व्यापक 'युवा डिस्काउंट कार्ड' जारी किया जाएगा, जिसके माध्यम से निजी सेवा प्रदाताओं की परिवहन, आवास, कला प्रदर्शन जैसी सेवाओं और उत्पादों जैसे क्षेत्रों में युवा छूट प्राप्त कर सकेंगे।
- शासकीय नौकरियों में युवाओं को परीक्षा शुल्क से मुक्ति दी जाएगी।
- युवा भारत दर्शन योजना का प्रदेश में विस्तार किया जाएगा।
- सभी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए कोचिंग की व्यवस्था की जाएगी।
- प्रदेश में आई.टी सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़ के युवाओं को बोलचाल की अंग्रेजी सिखाने के लिए क्रैश कोर्स शुरू किया जाएगा।

खेल संस्कृति का विकास

- महत्वाकांक्षी खिलाड़ियों को आधुनिक प्रशिक्षण सुविधाएं प्रदान करने हेतु तीरंदाजी, शूटिंग, एथलेटिक्स, हॉकी एवं तैराकी की 5 विश्वस्तरीय खेल अकादमियों का निर्माण किया जाएगा।
- प्रदेश में खेल विश्व विद्यालय की स्थापना की जाएगी।
- सभी प्रमुख जिला मुख्यालयों में स्टेडियम, ब्लाक मुख्यालय में मिनी स्टेडियम व पंचायत में खेल मैदान का निर्माण किया जाएगा।
- सभी ग्राम पंचायतों में ओपन जिम की स्थापना एवं युवाओं हेतु खेल क्लब गठित किए जाएंगे।
- परम्परागत खेलों के संरक्षण हेतु इन खेलों की ओपन प्रतियोगिताओं का और बढ़े स्तर पर आयोजन किया जाएगा एवं प्रतियोगिताओं में अच्छा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को ईनामी राशि एवं रोजगार के विशेष अवसर दिए जाएंगे।

अन्य प्राथमिकता समूह

ओबीसी वर्ग

- छत्तीसगढ़ पिछड़ा वर्ग आयोग को वैधानिक दर्जा दिया जाएगा।
- प्रदेश के सभी शहरी इलाकों में ओबीसी युवा छात्रावास स्थापित किए जाएंगे ताकि ओबीसी युवा उच्च शिक्षा के अवसरों का फायदा उठा सकें।
- प्रदेश के ओबीसी वर्ग के शैक्षणिक एवं सामाजिक उत्थान हेतु एक विशेष नीति के निर्माण एवं वित्तीय प्रावधान को सुनिश्चित किया जाएगा।

सफाई कर्मचारी

- सफाई कर्मचारियों हेतु पृथक से उनके सशक्तिकरण एवं आत्मनिर्भरता हेतु सामाजिक सुरक्षा योजनाएँ लागू की जाएंगी।

पत्रकार एवं फोटो पत्रकार

- पत्रकार एवं फोटो-पत्रकारों के लिए कल्याण बोर्ड का गठन किया जाएगा। इस बोर्ड के माध्यम से उनके आवास, 5 लाख रु तक बीमा, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा हेतु आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।

अधिवक्ता वर्ग

- प्रदेश में एडव्होकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाएगा।
- अधिवक्ता समूह बीमा योजना एवं दुर्घटना बीमा योजना लागू की जाएगी।
- प्रदेश में 5 वर्षीय LLB कोर्स का विस्तार किया जाएगा।
- अधिवक्ताओं की सुविधा के लिए समय समय पर रिफ्रेशर कोर्स का आयोजन किया जाएगा एवं उनकी आवश्यकताओं के अनुकूल जिला बार लाइब्रेरी का आधुनिकीकरण किया जाएगा।
- सभी न्यायालयों में अधिवक्ता वर्ग के लिए ई – लाइब्रेरी की स्थापना की जाएगी।

सरकारी कर्मचारी

- सभी ब्लॉक मुख्यालयों पर शासकीय कर्मचारी कॉलोनी का निर्माण किया जाएगा।

- नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में शिक्षा एवं स्वास्थ्य में कार्यरत सरकारी कर्मचारियों को प्रोत्साहन राशि के तौर पर वर्त्तमान भत्तों के साथ साथ अतिरिक्त आर्थिक लाभ दिया जाएगा एवं उनके स्थानान्तरण की अवधि तय की जाएगी।
- शासकीय अधिकारी एवं कर्मचारियों के वेतन विसंगति, पदोन्नति विसंगति को दूर करने के लिए विशेष अभियान चलाकर 1 साल के भीतर विसंगति दूर की जाएगी।
- राज्य शासकीय कर्मचारियों के लिए प्रसारित आदेशानुसार ही शासकीय अनुदान प्राप्त शैक्षणिक संस्थाओं में कार्यरत कर्मचारियों के वेतन एवं भत्ते के साथ देय अन्य वित्तीय हितलाभ स्वयमेव लागू हों यह सुनिश्चित किया जाएगा।
- सरकारी कर्मचारियों की सेवा संबंधी शिकायतों के समयबद्ध निवारण हेतु कर्मचारी कल्याण परिषद का गठन किया जाएगा।
- कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति पर 240 के स्थान पर 300 दिनों के अवकाश नकदीकरण का लाभ दिया जाएगा।

शिक्षक

- शत प्रतिशत अनुदान प्राप्त महाविद्यालयों के शिक्षकों को पेंशन एवं ग्रेच्युटी की भांति शत प्रतिशत अनुदान प्राप्त स्कूलों के सेवानिवृत्त शिक्षकों को भी पेंशन एवं ग्रेच्युटी दी जाएगी।
- बाल श्रमिक शिक्षकों के समायोजन संबंधी कार्यवाही की जाएगी।
- साक्षर भारत योजना के अंतर्गत कार्यरत प्रेरकों को शिक्षक भर्ती में प्राथमिकता दी जाएगी।

पेंशनर्स और वरिष्ठ नागरिक

- 17 वर्षों से लंबित छत्तीसगढ़ एवं मध्यप्रदेश राज्यों के बीच पेंशनरों के आर्थिक दायित्वों का बटवारा निराकरण शीघ्र करने हेतु भारतीय प्रशासनिक सेवा (आई ए एस) दर्जे के एक प्राधिकृत अधिकारी को नियुक्त किया जाएगा।
- राज्य के पेंशनर्स को 6ठे एवं 7वें वेतनमान के अंतर्गत एरियर्स दिए जायेंगे।
- राज्य में पेंशनर्स को भी केंद्र के समान 1000 रुपए प्रतिमाह चिकित्सा भत्ता दिया जाएगा।
- 'अटल वरिष्ठ नागरिक पेंशन योजना' के तहत 60 साल से 80 साल तक के गरीब वरिष्ठ नागरिकों को प्रतिमाह 1,000 रुपए और 80 साल से अधिक उम्र के गरीब वरिष्ठ नागरिकों को 1,500 रुपए प्रतिमाह की पेंशन दी जाएगी।
- 'आओ जी लें' नामक नई योजना के तहत छत्तीसगढ़ के सभी वरिष्ठ नागरिकों को देश में कहीं भी एक हफ्ते तक की पर्यटन यात्रा के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी।
- वरिष्ठ नागरिकों के भविष्य की रक्षा हेतु प्रदेश में एक विशेष क़ानून लाया जाएगा जो यह सुनिश्चित करेगा कि वरिष्ठ नागरिकों का परिवार उन्हें उनकी संपत्ति से वंचित न कर सके।

- वरिष्ठ नागरिकों को हेल्थ कार्ड के माध्यम से प्रतिवर्ष 3 निशुल्क जांच उपलब्ध करवाई जाएंगी।

दिव्यांग

- छत्तीसगढ़ में निवास करने वाले सभी दिव्यांगों को यूडीआईडी (UDID) कार्ड देकर एक विशेष निधि के माध्यम से सभी सुविधाओं को सुनिश्चित किया जाएगा।
- अगले 5 साल में सभी सरकारी कार्यालयों को दिव्यांगों के लिए सुगम बनाया जाएगा और सभी नए सरकारी कार्यालयों और अन्य सार्वजनिक भवनों में विशेष सुविधाएं अनिवार्य की जाएंगी।
- दिव्यांग छात्रों की विशेष जरूरतों को समझने और उन्हें शिक्षा पद्धति में एकीकृत करने के लिए सभी सरकारी शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा।

तृतीय लिंग वर्ग

- तृतीय लिंग कल्याण कोष का गठन किया जाएगा।
- तृतीय लिंग समुदाय को छत्तीसगढ़ में शासकीय नौकरी में आरक्षण दिया जाएगा।

पारंपरिक व्यवसाय और कारीगर

- 100 करोड़ रुपए की 'शिल्पगुरू जयदेव बघेल निधि' के तहत छत्तीसगढ़ के सभी कारीगरों और बुनकरों को उपकरणों और प्रौद्योगिकी के उन्नयन और विपणन के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।
- हस्तशिल्प बाजारों का विस्तार सभी ब्लॉक-स्तर तक किया जाएगा और मौजूदा बाजारों का उन्नयन किया जाएगा और शहरी क्षेत्रों में कलाकारों को अस्थायी तौर पर अपनी कला के विक्रय के लिए स्थान उपलब्ध करवाया जाएगा।
- छत्तीसगढ़ के पांचों संभागों में हर वर्ष 'शिल्पोत्सव' का आयोजन कर छत्तीसगढ़ की कला, संस्कृति और हस्तशिल्प का प्रचार किया जाएगा।
- पारंपरिक बुनकरों के उत्पादों को नए व्यापार के अवसर देने के लिए रायगढ़ में एक आधुनिक 'हैंडलूम प्रमोशन केंद्र' की स्थापना की जाएगी, जिसमें एक टैक्सटाइल म्यूजियम भी शामिल होगा।
- कलाकारों को अपने कला का प्रदर्शन और विक्रय करने हेतु विदेश जाने के लिए आर्थिक सहायता दी जाएगी।
- 'बिलासा देवी मछुआरा विकास कोष' की स्थापना कर पारंपरिक रूप से मछली पकड़ने वाले व्यक्तियों की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने और उनके लिए आधुनिक उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए इस कोष के माध्यम से सहायता प्रदान की जाएगी।
- परंपरागत व्यवसायों में जुटे समुदायों को अपने व्यवसाय के विकास के लिए 50% तक का अनुदान दिया जाएगा।

आंगनबाड़ी कार्यकर्ता

- आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायकों को दी जानेवाली सुविधाओं को बढाया जाएगा।
- आंगनबाड़ी कार्यकर्ता – सहायिका, मध्यान्ह भोजन रसोइया एवं स्कूलों में कार्यरत सफाई कर्मचारियों को कलेक्ट्रेट दर पर न्यूनतम वेतन दिया जाएगा।

खुशहाल जीवन

हमारा मानना है कि नागरिकों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य के अच्छे अवसर और बेहतर मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हों तो उनके समग्र विकास की संभावनाएं कई गुना बढ़ जाती हैं। जिसके परिणाम स्वरूप प्रदेश के सर्वांगीण विकास और समाज की सामूहिक संपन्नता में वृद्धि होती है। इसी कल्पना को साथ लेकर हमने पिछले 15 वर्षों में शिक्षा, स्वास्थ्य और आम जनता के लिए ज़रूरी मूलभूत सुविधाओं को सुलभ और किफ़ायती बनाने के प्रयास किए हैं। जिनके फलस्वरूप प्रदेश के हर व्यक्ति के जीवन में खुशहाली आई है। इन पहलों को और आगे ले जाते हुए हम हर नागरिक के लिए विश्वस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य आवश्यक सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रयासरत रहेंगे। एक पूर्ण रूप से शिक्षित और स्वस्थ समाज जिसमें बेहतर रोज़गार के अवसर निरंतर उपलब्ध हों और जिससे प्रदेश के हर नागरिक के जीवन में खुशहाली हो ऐसे प्रदेश का हम निर्माण करेंगे।

- प्रदेश में विश्वविद्यालयों की संख्या 4 से बढ़कर 13, इंजीनियरिंग कॉलेज 14 से बढ़कर 50, महाविद्यालयों की संख्या 206 से बढ़कर 482, एवं आदिवासी अंचलों में कॉलेजों की संख्या 40 से बढ़कर 71 हो गई है।
- आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी, एम्स, आईआईएम, केन्द्रीय विश्वविद्यालय, एच.एन.एल.यू आदि संस्थानों द्वारा छत्तीसगढ़ 'शिक्षागढ़' के रूप में विकसित हुआ है।
- सरस्वती साइकिल योजना के अंतर्गत 15 वर्षों में प्रदेश में 15 लाख से अधिक साइकिलों का वितरण किया गया है जिसके कारण बालिकाओं का ड्राप आउट रेट 11 से घटकर 1 प्रतिशत पर आ गया है।
- शिक्षा के क्षेत्र में सर्वाधिक व्यय करने वाले राज्यों में छत्तीसगढ़ देश में दूसरे स्थान पर है।
- छत्तीसगढ़ देश के उन चुनिन्दा राज्यों में शामिल है जहां स्वयं की इनोवेशन एवं उद्यमिता नीति का सृजन किया गया है।
- 'आयुष्मान भारत योजना' के माध्यम से छत्तीसगढ़ में लगभग 40 लाख गरीब परिवारों को प्रतिवर्ष 5 लाख रूपये तक इलाज की सुविधा दी जा रही है।
- प्रदेश में मेडिकल कॉलेज की संख्या 2 से बढ़ाकर 9 एवं जिला अस्पताल 16 से बढ़ाकर 26 की गई है।
- 240 संजीवनी वाहनों के माध्यम से अब तक 14 लाख 66 हज़ार लोगों को सेवा दी गई है एवं 350 महतारी वाहनों के माध्यम से अब तक 28 लाख 27 हज़ार हितग्राहियों को सेवा दी गई है।
- 15 वर्षों में छत्तीसगढ़ के शहरी विकास के बजट में लगभग 800% की वृद्धि हुई है।

समग्र शिक्षा

आर्थिक सहायता

- जाति या वर्ग की पात्रता शर्तों के बिना कक्षा 12वीं तक के सभी छात्र छात्राओं को पाठ्य पुस्तक- और यूनिफार्म निशुल्क उपलब्ध कराए जाएंगे।
- कक्षा 9 वीं में प्रवेश लेने वाले सभी वर्ग के छात्र-छात्राओं को साइकिल वितरित की जाएगी।
- सीजीएसईबी की दसवीं की परीक्षा में शीर्ष 1000 छात्र-छात्राओं के लिए 11वीं और 12वीं कक्षाओं की ट्यूशन फीस का पूरा भार सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।
- राज्य लोक सेवा एवं व्यावसायिक परीक्षा मण्डल द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षाओं में छात्रों को निशुल्क परीक्षा की सुविधा दी जाएगी।
- निजी स्कूलों की फीस को नियंत्रित करने और पारदर्शी बनाने हेतु ठोस कदम उठाए जाएंगे।
- प्रतिष्ठित राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में प्रवेश लेने वाले प्रदेश के आर्थिक रूप से कमज़ोर मेधावी छात्रों की उच्च शिक्षा हेतु ट्यूशन फीस का खर्चा सरकार द्वारा उठाया जाएगा।

उच्चतम गुणवत्ता की शिक्षा सुविधाएं

- प्रदेश के प्रत्येक विकास खंड में 5 मॉडल स्कूलों की स्थापना की जाएगी।
- स्मार्ट कक्षाओं, टिंकरिंग प्रयोगशालाओं और रिमोट शिक्षा के लिए सुविधाओं से सुसज्जित 'अटल विद्यालय' प्रत्येक जिले में बनाया जाएगा।
- स्कूलों में लाइब्रेरियन, पी.टी.आई एवं योग्य शिक्षकों का भर्ती अभियान प्रारंभ किया जाएगा।
- 'सुचिता योजना' के तहत राज्य के सभी विद्यालयों में लड़कियों के शौचालय में सेनेटरी पैड वेंडिंग मशीन और पर्यावरण अनुकूल इन्सीनेरेटर लगाए जाएंगे।
- तकनीकी महाविद्यालयों में मोबाइल, ऑटोमोबाइल, पैकेजिंग, प्रोसेसिंग एवं मार्केटिंग जैसे विषयों पर नए कोर्स प्रारंभ किए जाएंगे।
- ब्लॉक मुख्यालयों पर एक अंग्रेजी मीडियम सीबीएससी शासकीय स्कूल की स्थापना की जाएगी।
- हिंदी और छत्तीसगढ़ी भाषा के विकास के लिए प्रदेश में विश्वविद्यालय खोला जाएगा।
- शिक्षकों और प्रधान शिक्षकों के क्षमता निर्माण हेतु 'एजुकेशनल लीडरशिप संस्थान' स्थापित किया जाएगा और 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया जाएगा।

व्यापक स्वास्थ्य

स्वास्थ्य में नीतिगत लक्ष्य

- कुपोषण मुक्त छत्तीसगढ़ बनाया जाएगा।
- 100% संस्थागत डिलीवरी और टीकाकरण दर सुनिश्चित किया जाएगा।
- मातृ मृत्यु दर व शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए अभियान चलाया जाएगा।

आधारभूत स्वास्थ्य संरचना

- सभी पुराने अस्पतालों का ऑडिट कर उनका नवीनीकरण किया जाएगा।
- सभी जिला अस्पतालों को मल्टी स्पेशलिटी अस्पतालों में अपग्रेड किया जाएगा।
- नागरिकों को सभी आवश्यक डायग्नोस्टिक सेवाएं किफ़ायती दामों पर प्रदान करने के लिए सभी जिला अस्पतालों में डायग्नोस्टिक प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएंगी।
- प्रत्येक तहसील में मरीजों के लिए कम से कम एक डायलिसिस मशीन उपलब्ध हो यह सुनिश्चित किया जाएगा।
- प्रदेश की हर पंचायत में स्वास्थ्य केंद्र की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी।
- अंबिकापुर और जगदलपुर में सुपर -स्पेशलिटी अस्पताल की स्थापना की जाएगी और निजी निवेश को बढ़ावा देकर ज़िला और ब्लॉक-स्तर पर गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी।
- एक आधुनिक 'अटल हेल्थ पार्क' स्थापित किया जाएगा, जिसका हेल्थकेयर सेवाओं, फार्मास्युटिकल रिसर्च और प्रोडक्शन के लिए मेडिकल हब के रूप में विकास किया जाएगा।
- सभी संभाग मुख्यालयों में आधुनिक आपातकालीन चिकित्सालयों (ट्रॉमा सेण्टर) का निर्माण किया जाएगा।
- सभी जिलों में 10 बिस्तर के आपातकालीन चिकित्सालय (ट्रॉमा सेण्टर) की स्थापना की जाएगी।

सुलभ और सुगम स्वास्थ्य सेवाएं

- सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में जन औषधि स्टोर की सुविधा का प्रावधान किया जाएगा।
- चिरायु योजना का विस्तार कर सरकारी अस्पतालों में सीनियर सिटीजन के इलाज हेतु विशेष सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।
- प्रदेश आपातकालीन परिवहन बेड़े में 100 नए '108 एम्बुलेंस' और 200 नई 'महतारी एम्बुलेंस' जोड़ी जाएंगी और वर्तमान एम्बुलेंस तंत्र को मजबूत करने के लिए 50 करोड़ रुपये का प्रावधान किया जाएगा।
- गरीब परिवारों के लिए 5 लाख तक का और अन्य परिवारों के लिए 1 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा किया जाएगा।

शहरी विकास

- सभी शहरी गरीब परिवारों को 2022 तक पक्के आवास मुहैया कराए जाएंगे।
- स्मार्ट सिटी और अमृत मिशन के तहत चल रही शहरी विकास और आधारभूत ढांचा सुधार परियोजनाओं को शीघ्रता से पूर्ण किया जाएगा।
- छोटे और मध्यम शहरों में बुनियादी ढांचे के विकास हेतु 'छोटे और मध्यम नगर विकास मिशन' की शुरुआत की जाएगी।
- प्रदेश के हर निवासी के लिए 24 घंटे स्वच्छ पानी की आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी।
- शहरों में यातायात के दबाव को कम करने के लिए नए रिंग रोड व फ्लाई ओवर का निर्माण किया जाएगा।
- शहरों में एक व्यापक और निर्बाध परिवहन व्यवस्था का निर्माण किया जाएगा जिसमें बसों और पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टिविटी सुनिश्चित की जाएगी और इस परिवहन के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए एक मोबाइल एप बनाई जाएगी।
- प्रभावी अपशिष्ट प्रबंधन हेतु घर घर से कचरा संग्रहण का विस्तार सभी शहरों तक किया जाएगा।
- सभी शहरों में एक 'ओक्सीजोन पार्क' का निर्माण किया जाएगा।
- शहरों में मुख्य मार्ग एवं बाज़ारों में शौचालय, मोबाइल चार्जर एवं वाई फाई जैसी आधुनिक सुविधाओं से युक्त जन सुविधा केन्द्रों की स्थापना की जाएगी।
- अवैध कॉलोनियों के युक्तियुक्त नियमितीकरण की प्रक्रिया एक साल में पूर्ण की जाएगी।
- सभी गरीब बस्तियों के विकास के लिए 'अटल गरीब बस्ती सुधार' कार्यक्रम चलाया जाएगा।
- सभी नगर पंचायत एवं नगर पालिका का मास्टर प्लान बनाकर सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुव्यवस्थित विकास किया जाएगा।
- नगरीय क्षेत्र की आबादी भूमि में रहने वाले लोगों को एक साल के अन्दर आबादी पट्टा मिलेगा।
- नगरीय क्षेत्रों में स्थायी एवं नजूल पट्टों का नियमितीकरण व नवीनीकरण अभियान के माध्यम से किया जाएगा।
- नगर पालिका स्तर पर ट्रैफिक सिग्नल लगाए जाएंगे।
- नगर निगम क्षेत्रों में खेल मैदान, ऑडिटोरियम, वाचनालय, सामुदायिक भवन एवं ओपन जिम की स्थापना की जाएगी।

- रायपुर- अटल नगर -भिलाई -दुर्ग - राजनांदगांव नगर समूह को 'स्टेट कैपिटल रीजन' के रूप में विकसित किया जाएगा।
- 'सिटी-1' मोबाइल एप के माध्यम से सभी नागरिक सेवाएं हर एक नागरिक तक पहुँचाने की व्यवस्था की जाएगी।
- शहरों के अन्दर और शहरों के बीच सस्ती और सुविधाजनक यातायात सेवाएं प्रदान की जाएंगी।

हरित प्रदेश

हमारे प्रदेश को अद्वितीय नैसर्गिक संसाधनों का आशीर्वाद मिला है और उसकी रक्षा करना हम अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। इसीलिए विगत 15 वर्षों में हमने इस प्राकृतिक संपदा के संरक्षण और संवर्धन के लिए लक्षित प्रयास किए हैं। हमारे वनों का महत्व केवल उनकी प्राकृतिक सुंदरता के लिए ही नहीं है अपितु आजीविका के लिए उन पर निर्भर हमारे भाई बहनों के लिए भी है। हम हमारे वनों की सम्पन्नता को बनाए रखने, उनका विस्तार करने और उन पर निर्भर लोगों की आजीविका में वृद्धि कर के समाज को संपन्न बनाने के लिए प्रतिबद्ध रहेंगे। जलवायु परिवर्तन से हो रहे बदलावों से प्रदेश की कृषि और जीवन पर होने वाले असर को हम समझते हैं और इसीलिए इस परिवर्तन को रोकने के लिए जरूरी सभी कदम उठाकर भविष्य की पीढ़ियों के लिए भी जीवन को बेहतर बनाने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं।

- 15 वर्षों में छत्तीसगढ़ में लाख के उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है जिससे आज छत्तीसगढ़ देश के 26% लाख का उत्पादन कर रहा है।
- आज 2018 में छत्तीसगढ़ के अंतर्गत अचानकमार टाइगर रिज़र्व (मुंगेली), उदन्ती-सीतानदी टाइगर रिज़र्व (गरियाबंद) और इन्द्रावती टाइगर रिज़र्व, बीजापुर आदि जैसी 18 पर्यावरण साइट स्थापित की गयी हैं जिसकी संख्या 2003 में शून्य थी।
- नया रायपुर में लगभग आठ सौ एकड़ क्षेत्र में जंगल सफारी का निर्माण किया गया है।
- 15 वर्षों में हरियाली प्रसार के अंतर्गत 300 लाख से ज़्यादा पौधे लगाये गए हैं।
- छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा 17 प्रकार के 146 प्रदूषणकारी उद्योगों के निरीक्षण हेतु ऑनलाइन कंटीन्यूअस स्टेक इमीशन मोनिटरिंग सिस्टम की स्थापना की गयी है।
- दुर्ग-भिलाई, रायपुर, बिलासपुर, रायगढ़, कोरबा, जगदलपुर तथा अम्बिकापुर में परिवेशीय वायु गुणवत्ता के आलेखन के लिए विभिन्न उद्योगों द्वारा 105 कंटीन्यूअस एमबियेंट एयर क्वालिटी मोनिटरिंग स्टेशन स्थापित किये गए हैं।
- नेशनल ग्रीन कोर कार्यक्रम के अंतर्गत स्कूलों में अब तक करीबन 7000 ईको- क्लब कार्यरत किए गए हैं।

वन संवर्धन

- छत्तीसगढ़ को 2025 तक भारत के शीर्ष पर्यावरण अनुकूल राज्य के रूप में स्थापित किया जाएगा और वृहद वृक्षारोपण अभियान चलाया जाएगा।
- वन्य क्षेत्रों के संवर्धन एवं वन्य क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के जीवन सुधार हेतु प्रदेश में 2000 करोड़ रुपये की कैम्पा निधि का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित किया जाएगा।
- कृषि आय में वृद्धि के साथ वन क्षेत्र को बढ़ाने के दोहरे उद्देश्य से एग्रोफोरेस्ट्री (कृषि वानिकी) को प्राथमिकता दी जाएगी।
- वनों से प्राप्त सभी प्रकार की उपज की निगरानी के लिए एक वेबसक्षम- 'वन उत्पादन ट्रैकिंग सिस्टम' शुरू किया जाएगा।
- जंगली जानवरों के हमलों से जान और माल का नुकसान होने पर पर्याप्त मुआवजा सुनिश्चित किया जाएगा।
- अवैध कटाई को रोकने हेतु ठोस कदम उठाए जाएंगे।
- नवीन वन एवं वनीकरण नीति बनाई जाएगी। इसमें वृक्षों की कटाई रोकने, वन-क्षेत्रफल बढ़ाने तथा निजी वनीकरण को प्रोत्साहित करने का प्रावधान किया जाएगा। इसका मसौदा जारी कर जनता से सुझाव लिया जाएगा।
- कमर्शियल प्लांटेशन को बढ़ावा दिया जाएगा और इससे जुड़े कटाई/परिवहन नियमों का सरलीकरण किया जाएगा।

पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन

- शहरों को प्रदूषण मुक्त करने हेतु अभियान चलाया जाएगा।
- हर शहरी क्षेत्र में तीन 24x7 वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशन स्थापित किए जाएंगे और सभी शहरों का वायु गुणवत्ता सूचकांक सुरक्षित सीमा में रहे इसके लिए सभी जरूरी कदम उठाए जाएंगे।
- प्रदेश में चल रही सभी प्रमुख परियोजनाओं का पर्यावरण और इकोलॉजिकल ऑडिट सुनिश्चित किया जाएगा।
- प्रदेश में विद्युत चालित वाहनों के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए ई – रिक्शा, ई- टैक्सी इत्यादि की ख़रीद पर सब्सिडी दी जाएगी।
- प्रदेश में 5 ईको संवेदनशील जोन की पहचान और विकास किया जाएगा और इसके लिए-50 करोड़ रुपये की विशेष निधि का प्रावधान किया जाएगा।
- जलवायु परिवर्तन संबंधी विषयों पर नीति निर्माण और नीतियों के कार्यान्वयन हेतु एक नए जलवायु परिवर्तन समीति का सृजन किया जाएगा।
- ग्रीन टेक्नोलॉजी के विकास को प्रदेश में बढ़ावा दिया जाएगा और कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए कदम उठाने हेतु एक राज्य-स्तरीय समिति का गठन किया जाएगा।
- संसाधनों के क्षय, जैव विविधता के क्षरण को रोकने और एक सतत जलवायु अनुकूल आर्थिक-विकास के ढांचे को बनाने के लिए 'निरंतर छत्तीसगढ़' मिशन की शुरुआत की जाएगी।
- 2016 के ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमों पर प्रभावी रूप से अमल किया जाएगा और आर्थिक रूप से व्यवहार्य तरीके से ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन की सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी।
- सार्वजनिक वित्तपोषित सभी बड़ी और मध्यम परियोजनाओं के लिए जलवायु (भवनों सहित) प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट तैयार की जाएगी।
- 50 करोड़ रुपये की 'छत्तीसगढ़ पर्यावरण प्रौद्योगिकी निधि' की शुरुआत की जाएगी जिसका लाभ शोधकर्ता और उद्यमी अभिनव पर्यावरण प्रौद्योगिकी के अनुसंधान हेतु उठाया जाएगा।

स्मार्ट सुशासन

विगत पंद्रह वर्षों में हमारी सरकार ने एक साफ, पारदर्शी और संवेदनशील प्रशासन का उदाहरण प्रस्तुत किया है। हमारी सरकार ने अलग अलग समूहों के हितों को ध्यान में रखते हुए विभिन्न कल्याणकारी योजनाएँ चलायी हैं जिसके माध्यम से हमने आर्थिक और सामाजिक विकास के नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। हम प्रशासन को और भी बेहतर, प्रभावी और स्मार्ट बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इसके लिए हम नई प्रक्रियाओं का सृजन करेंगे और मानक-आधारित सेवाएं नागरिकों को देने का प्रयास करेंगे। हम टेक्नोलॉजी का भरपूर उपयोग कर प्रशासन के हर स्तर पर उसे एकीकृत करेंगे। हम जांच की प्रक्रियाओं को और मजबूत बना कर नागरिकों के लिए एक सुरक्षित माहौल सुनिश्चित करेंगे और बेहतर वित्तीय प्रबंधन से प्रदेश के आर्थिक संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग सुनिश्चित करेंगे। हम स्मार्ट सुशासन के माध्यम से नागरिकों के लिए हर समय नए अवसर निर्माण करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

- प्रदेश में जिलों की संख्या को 16 से बढ़ाकर 27 किया गया है और आदिवासी अंचलों में 7 नए जिले बने हैं।
- देश में पहली बार पीडीएस योजना के अंतर्गत खाद्य एवं पोषण सुरक्षा कानून बनाया गया, जिसे लागू करने के कारण ही 83% जनसंख्या को भूख से मुक्ति मिली है।
- छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य है जहाँ खदानों की नीलामी 'ई – ऑक्शन' के माध्यम से शुरू की गयी है।
- 'ई- गवर्नेंस परियोजना' के अंतर्गत समस्त नगरीय निकायों में आम नागरिकों को ऑनलाइन सुविधा प्रदान की जा रही है।
- संचार क्रांति योजना (SKY) के अंतर्गत स्मार्टफोन देने के साथ साथ 1600 नए मोबाइल टॉवर स्थापित किये गए हैं जिनके माध्यम से 50 लाख लोगों को संचार की सुविधा दी जा रही है।
- बस्तर नेट के माध्यम से पूरे बस्तर संभाग में इंटरनेट की सुविधा सातों जिलों के नागरिकों को प्रदान की गयी है।
- छत्तीसगढ़ पुलिस ने एक आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर '112' लॉन्च किया है, जिस पर कॉल कर प्रदेश के नागरिक आपातकाल के दौरान, पुलिस सहायता हेतु, अग्नि सम्बंधित दुर्घटना की रिपोर्ट अथवा एम्बुलेंस को बुला सकते हैं।
- 15 वर्षों में छत्तीसगढ़ में 54 सिविल कोर्ट खोले गए हैं।
- न्यायिक सेवाओं का बजट प्रदेश में केवल 16.5 करोड़ रुपए था जिसे बढ़ाकर 536 करोड़ रुपए तक पहुंचाया गया है।

प्रशासन

पारदर्शी और सक्रिय प्रशासन

- छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त प्रदेश बनाया जायेगा।
- प्रदेश के विकास की गति को और बढ़ाकर प्रति वर्ष 15% की आर्थिक विकास दर को हासिल करने का प्रयास किया जाएगा।
- अगले पांच वर्षों में प्रदेश को प्रति व्यक्ति आय और मानव विकास सूचकांक में भारत के शीर्ष 5 राज्यों में से एक बनाने के लिए निरंतर प्रयास किया जाएगा।
- सभी प्रशासनिक विभागों द्वारा इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए रोडमैप बनाया जाएगा और 'नवा छत्तीसगढ़ ट्रैकर' के माध्यम से परियोजनाओं के समयबद्ध क्रियान्वयन की निरंतर समीक्षा की जाएगी।
- वर्तमान में अप्रासंगिक हो चुके कार्यालयों, विभागों एवं कुछ आयोगों को बंद किया जायेगा।

डिजिटल प्रक्रियाएं

- एक 'आईटी चालित सुशासन नीति' का सृजन किया जाएगा, जिसके माध्यम से प्रशासन के हर स्तर और विभाग को और प्रभावी एवं कुशल बनाया जायेगा।
- पूरी दुनिया में बसे हुए छत्तीसगढ़िया लोगों को एक पटल पर लाने हेतु सरकार द्वारा एक माइक्रो ब्लोगिंग साइट बनाई जाएगी जिससे हर एक छत्तीसगढ़ी एक दूसरे से जुड़ा रह सके।

स्मार्ट सार्वजनिक वितरण

- प्रत्येक राशन दुकान पर एक 'बॉयोमेट्रिक कियोस्क' स्थापित किया जाएगा जिसके माध्यम से लोग आवंटित राशन और उसके ख़रीद के रिकॉर्ड की समीक्षा कर सकें साथ ही राज्य और केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारी प्राप्त कर सकें।
- सभी शासकीय उचित मूल्य की दुकान में शौचालय की स्थापना की जाएगी।
- प्रदेश के शहरी इलाकों में बीपीएल परिवारों को राशन मासिक आधार पर घर तक पहुँचाने की सुविधा शुरू की जाएगी एवं 'मेरी मर्ज़ी' योजना का विस्तार किया जाएगा।

पुलिस

स्मार्ट पुलिस

- प्रदेश की पुलिस की नागरिकों के प्रति मित्रवत व्यवहार, संवेदनशीलता और जवाबदेही सुनिश्चित करने हेतु सभी कदम उठाए जाएंगे।
- थानों में FIR दर्ज करने की प्रक्रिया को सरल बनाते हुए ऑनलाइन पुलिस पोर्टल के माध्यम से FIR दर्ज करने की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।
- पुलिस बल के सभी पुलिस कर्मियों को प्रौद्योगिकी और कंप्यूटर संबंधित प्रशिक्षण दिया जाएगा।
- पुलिस की सेवा शर्तों संबंधी शिकायतों के त्वरित समाधान हेतु एक विशेष व्यवस्था का निर्माण किया जाएगा।
- पालिक कर्मियों की मूलभूत समस्याओं के निराकरण हेतु एक कमेटी का गठन किया जाएगा।
- नक्सलवाद प्रभावित क्षेत्रों में काम कर रहे पुलिसकर्मियों के बच्चों के लिए आधुनिक शिक्षा सुविधाओं की व्यवस्था की जाएगी।
- पुलिसकर्मियों के परिवारों के कल्याण हेतु पर्याप्त आवासीय कॉलनियों का उन्नयन और निर्माण किया जाएगा।
- 112 सेवा का विस्तार प्रदेश के सभी जिलों में किया जाएगा।

स्मार्ट जांच

- सभी पुलिस स्टेशन में लैंगिक अत्याचार की जांच में सहायता करने हेतु अत्याधुनिक संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे।
- रायपुर में एक विश्वस्तरीय फोरेंसिक सेंटर की स्थापना की जाएगी और इसके तहत DNA, फाइबर विश्लेषण और बैलिस्टिक विश्लेषण की अत्याधुनिक सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।

विकासशील से विकसित की ओर....

पिछले 15 वर्षों में हमने प्रदेश को एक पिछड़े प्रदेश से विकासशील प्रदेश बनाया है। भाजपा सरकार ने आधारभूत संरचना के महत्व को समझते हुए प्रदेश में सड़कों का जाल बिछाया है। बिजली उत्पादन के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ भारत के शीर्ष राज्यों में शामिल है। गाँव-शहरों में बुनियादी ढाँचे का विकास कर हमने नए उद्योग लगाने के साथ साथ रोज़गार के नए अवसरों का सृजन किया है। हमने अपनी सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण, विकास एवं प्रचार-प्रसार के लिए कई क़दम उठाए हैं। हम प्रदेश के बुनियादी ढाँचे को भविष्य की ज़रूरतों के लिए तैयार करने के लिए संकल्पित हैं। हर गाँव और हर शहर में विश्व स्तरीय सुविधाओं का लाभ हमारे नागरिकों को मिले इसे हम अपनी सफलता का मापदंड बनाएँगे। विकास के अगले चरण में प्रदेश को विकसित बनाने के लिए हम कार्यशील रहेंगे ।

- छत्तीसगढ़ देश का पहला बिजली कटौती मुक्त राज्य है।
- 15 वर्षों में राज्य में 14,976 सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों और 20 नए औद्योगिक क्षेत्रों को स्थापित किया गया है।
- छत्तीसगढ़ में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों के माध्यम से 1,76,409 लोगों को रोज़गार प्रदान किया गया है।
- 'ईज ऑफ़ डूइंग बिजनेस' में छत्तीसगढ़ देश में छठे नंबर पर है।
- 15 वर्षों में बिजली का उत्पादन 4,000 मेगावाट से बढ़कर 25,000 मेगावाट हो गया है और 96% घरों तक बिजली पहुंचाई गयी है।
- 15 वर्षों में लगभग 60,000 किलोमीटर की सड़कों का निर्माण किया गया है।
- 15 वर्षों में राज्य में पर्यटन विकास की दृष्टि से 137 स्थलों का पर्यटन स्थल के रूप में चयन कर उन्हें विकसित किया गया है।

औद्योगिक विकास

- व्यापार एवं उद्योग आयोग का गठन किया जाएगा।
- 50 करोड़ रुपयों के 'व्यापारी उन्नति फंड' की स्थापना कर छोटे व्यापारियों को प्रौद्योगिकी सुधार के लिए ब्याज मुक्त ऋण और क्रियाशील पूंजी आवश्यकताओं के लिए अल्पकालिक निम्न ब्याज ऋण की सुविधा मुहैया करवाई जाएगी।
- 5 लाख तक का व्यापार बीमा छोटे व्यापारियों के लिए मुहैया कराया जाएगा।
- छत्तीसगढ़ को भारत में निवेश के लिए नंबर एक गंतव्य के रूप में स्थापित किया जाएगा।
- बस्तर और सरगुजा क्षेत्रों के औद्योगिकीकरण के लिए विशेष प्रावधान किए जाएंगे ताकि इस क्षेत्र में रोजगार और आर्थिक विकास के नए अवसर बन सकें।
- प्रदेश के हर ज़िले में अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस एक औद्योगिक पार्क का निर्माण किया जाएगा और उद्योगों को इन औद्योगिक पार्कों में निवेश के लिए विशेष प्रोत्साहन दिया जाएगा।
- फ़ूड प्रोसेसिंग यूनिट, कृषि आधारित उद्योग एवं खाद्य उद्योगों को प्रोत्साहित किया जाएगा।
- सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों को प्रौद्योगिकी, पूंजी, सूचना और नए बाजारों के अधिक अवसर प्रदान करने हेतु 'एम एस एम ई सुविधा केन्द्र' स्थापित किए जाएंगे।
- कोसा रेशम, हस्तशिल्प, लघु वन उपज आधारित उद्योग आदि जैसे चुनिंदा उद्योगों के सामूहिक विकास के लिए 'सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग क्लस्टर' विकास योजना के तहत सब्सिडी को बढ़ाया जाएगा।
- छत्तीसगढ़ की आई.टी. नीति के अंतर्गत हर एक आई. टी. संगठन की मदद के लिए सब्सिडी प्रदान की जाएगी।
- परम्परागत उद्योग एवं कुटीर उद्योग के विकास हेतु एक विशेष नीति बनाई जाएगी।

आधारभूत संरचना

- प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों को राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़ा जाएगा और सभी ब्लॉक मुख्यालयों, नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों को 2-लेन सड़क के माध्यम से प्रमुख मार्गों से जोड़ा जाएगा।
- अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने हेतु प्रदेश में 3 निर्यात उन्मुख ड्राई पोर्ट का निर्माण किया जाएगा।
- भारतमाला परियोजना के अंतर्गत प्रदेश में 13 नए इकोनॉमिक कॉरिडोर के अंतर्गत 683 किलोमीटर की 4 लेन विश्व स्तरीय सड़कें बनाई जाएंगी।
- वर्तमान रेल लाइन को 1200 किलोमीटर से दोगुना किया जाएगा।
- प्रस्तावित राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 4 पर बन रहे भद्राचलम टर्मिनल का उपयोग करने के लिए उचित कदम उठाए जाएंगे।
- प्रदेश के व्यस्ततम चौराहों पर फ्लाय ओवर बनाए जाएंगे।
- रेलवे क्रासिंग पर रेलवे ओवर ब्रिज/ अंडर ब्रिज का निर्माण किया जाएगा।
- सभी प्रमुख मार्गों और प्रवास बिंदुओं पर डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड आदि सुविधाओं से लैस आधुनिक बस स्टैंड का निर्माण किया जाएगा।
- लॉजिस्टिक्स नीति के अंतर्गत प्रदेश में लॉजिस्टिक्स पार्कों और परिसरों का निर्माण किया जाएगा।
- भविष्य में होने वाले सभी शहरी निर्माणों में सोलर पैनलों के उपयोग के लिए 30% लागत सब्सिडी प्रदान कर विशेष सुविधाएं दी जाएंगी।
- समस्त मॉल/व्यावसायिक परिसरों आदि में पार्किंग निशुल्क किया जाएगा।

पर्यटन और संस्कृति

पर्यटन सुविधाएं

- जिला स्तर पर विशेष धार्मिक, वन एवं जलाशय पर्यटन स्थलों का निर्माण किया जाएगा।
- गंगरेल, खुटाघाट, हसदेव बागों जलाशय, तांदुला जलाशय, बुका, डोंगरगढ़, सिरपुर, मैनपाट, भोरमदेव एवं चैतुरगढ़ जैसे स्थानों पर विश्वस्तरीय पर्यटन सुविधा उपलब्ध कराने का मास्टर प्लान बनाकर कार्य किया जाएगा।
- 'छत्तीसगढ़ दर्शन' के तहत प्रदेश के पर्यटन स्थलों को मास्टर प्लान बनाकर विकसित किया जाएगा।
- चित्रकोट जलप्रपात को विश्वस्तरीय पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा।
- छत्तीसगढ़ से उत्तर प्रदेश जाने वाले छत्तीसगढ़ वासियों के लिए प्रयागराज एवं हरिद्वार में धर्मशालाओं का निर्माण किया जाएगा।

संस्कृति संवर्धन

- सिरपुर को विश्व पर्यटन के मानचित्र में स्थापित किया जाएगा।
- प्रदेश के निर्माण की 20वीं वर्षगांठ पर रण उत्सव की तर्ज पर 2 सप्ताह के 'जोहार छत्तीसगढ़' उत्सव का प्रतिवर्ष आयोजन किया जाएगा, जिसमें छत्तीसगढ़ी कला एवं संस्कृति प्रदर्शित की जाएगी।
- 'जोहार छत्तीसगढ़ महोत्सव' को आयोजित करने के लिए अगले दो वर्षों में दक्षिण छत्तीसगढ़ में 100 एकड़ भूमि क्षेत्र विकसित किया जाएगा।
- छत्तीसगढ़ लोक कला परिषद का गठन किया जाएगा।
- छत्तीसगढ़ फिल्म सिटी का निर्माण किया जाएगा।
- युवाओं के बीच नाट्य कला को प्रोत्साहित करने और उनकी प्रतिभा को एक मंच देने के लिए 'छत्तीसगढ़ स्कूल ऑफ ड्रामा' की स्थापना की जाएगी।
- क्षेत्रीय भाषाओं की फिल्मों को सहायता प्रदान की जाएगी।
- सूरजकुंड मेले की तर्ज पर राज्य स्तरीय संस्कृति मेला आयोजित किया जाएगा।
- छत्तीसगढ़ के संस्कृति विभाग में पंजीकृत लोक कलाकारों को प्रतिमाह निश्चित मानदेय देने की कार्यवाही की जाएगी।
- आदिवासी लोक कला संस्कृति के संरक्षण हेतु विशेष कदम उठाए जाएंगे।

नोट्स

नोट्स

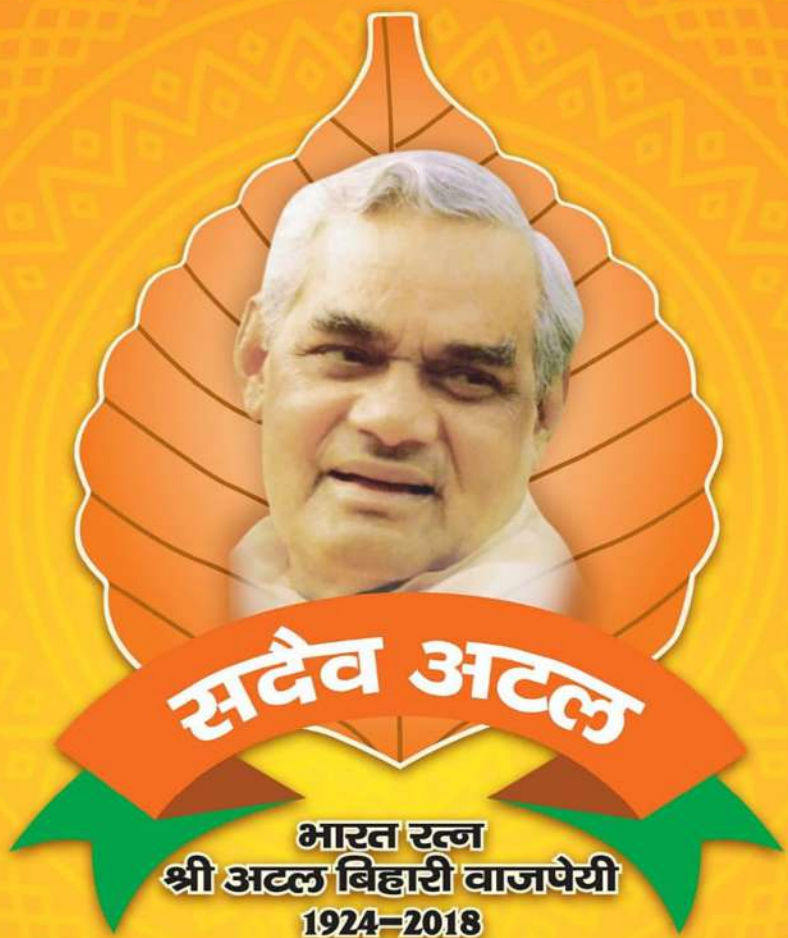

सदैव अटल

भारत रत्न
श्री अटल बिहारी वाजपेयी
1924–2018

राज्य निर्माता परम श्रद्धेय श्री अटल बिहारी वाजपेयी को समर्पित

सबका साथ
सबका विकास

रमन पर विश्वास, कमल संग विकास

/bjp4cgstate

प्रकाशक -

संख्या -

मुद्रक -